रजिस्ट्री सं० डी-(ड)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

भाग I— खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 1975/अग्रहायण 10, 1897

No. 239] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 1975/AGRAHAYANA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st December 1975

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1975—March, 1976 (Amendment).*

No. 127-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 78-ITC(PN)/75 dated the 1st August, 1975 wherein it was provided, *inter-alia* that, in the case of raw silk, the facility of direct import by issue of letter of authority under Para 42(1), Part 'B', Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for April, 1975—March, 1976 will be available only to the extent of 25 per cent of the REP entitlement.

2. On a review of the position, it has been decided that the facility of direct import by issuue of letters of authority shall not at all be available in the case of raw silk. The eligible importers will be allowed only Release Orders on the canalising agency concerned.

3. The import policy for Registered Exporters for the period April, 1975—March, 1976 may be deemed to have been amended accordingly.

MANI NARAYANSWAMI, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975-मार्च 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन) ।

सं० 127–आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 78-आई टी सी(पी एन)/75 दिनांक 1 अगस्त, 1975 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दिया गया था कि कच्चे रेशम के मामले में, अप्रैल 1975-मार्च 1976 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा०-2) के भाग 'बी', खंड-1, पैरा 42(1) के अधीन प्राधिकारपत्र जारी करने के तरीके से सीधे आयात की सुविधा, आर ई पी हकदारी के केवल 25% तक की सीमा तक दी जाएगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि कच्चे रेशम के मामले में, प्राधिकार पत्र जारी करने के तरीके से सीधे आयात की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होगी । मात्र आयातकों को केवल सम्बद्ध सरणीबद्ध करने वाली एजेन्सी के नाम रिहाई आदेशों की अनुमति दी जाएगी ।

3. अप्रैल 1975-मार्च 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए ।

मणिनारायण स्वामी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975